भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3823

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: तमिलनाडु में कृषि पहल

3823. श्री नवसकनी के.:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रीष्म ऋतु के मौसम के दौरान तमिलनाडु में ग्रीष्मकालीन फसलों के क्षेत्र विस्तार में वृद्धि और खेती के अंतर्गत लाये गए रकबे की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू ग्रीष्म ऋतु के दौरान तमिलनाडु में धान, दलहन, तिलहन और मक्का के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्र का फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रामनाथपुरम जिले में कुशल जल प्रबंधन, जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों और उन्नत विस्तार सेवाओं के माध्यम से ग्रीष्मकालीन फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई जिला-विशिष्ट पहल कार्यान्वित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) रामनाथपुरम जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों, उर्वरकों, सिंचाई सहायता और अन्य कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या रामनाथपुरम जिले में ग्रीष्मकालीन फसल उत्पादकता बढ़ाने, जल उपयोग दक्षता में सुधार करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कृषि और किसान कल्याण विभाग ग्रीष्मकालीन फसलों सहित विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करता है। तमिलनाडु में वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के लिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान चावल, मक्का, दलहन और तिलहन के तहत कवर किए गए क्षेत्र का विवरण इस प्रकार है:

फसल	क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में	
	2024-25	2025-26*
चावल	272.56	227.95
मक्का	3.00	22.71
कुल दलहन	166.59	134.73
कुल तिलहन	107.98	87.64

*तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, डीए एंड एफडब्ल्यू

(ग) से (ङ): प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को 16 जुलाई, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रामनाथपुरम सहित 100 जिलों को कवर करने के लिए अनुमोदित किया गया था और औपचारिक रूप से 11 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तरों पर फसलोपरांत भंडारण में वृद्धि करना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। यह योजना 11 विभागों, अन्य राज्य योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी में 36 मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लागू की जा रही है।

रामनाथपुरम, तमिलनाडु में डीडीकेवाई के अंतर्गत आने वाले जिलों में से एक है। जिला धन धान्य कृषि योजना समिति द्वारा संबंधित स्टेकहोल्डर्स के परामर्श से जिला कार्य योजनाएं (डीएपी) तैयार और अनुमोदित की गई हैं। डीएपी की परिकल्पना जिला विशिष्ट कृषि विकास योजना का समाधान करने और योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए की गई है। रामनाथपुरम जिले ने भी डीएपी तैयार किए हैं और अपनी योजनाओं के अनुसार कार्यकलाप शुरू किए हैं।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तमिलनाडु राज्य में विभिन्न अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। इनमें से कुछ हैं:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) का कार्यान्वयन तमिलनाडु सहित 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में श्रीअन्न, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों (जूट और गन्ना) के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। एनएफएसएनएम के तहत नई जारी की गई उच्च उपज वाली, जलवायु-अनुकूल, बायो-फोर्टिफाइड, कीटों, पेस्ट और रोगों के प्रति प्रतिरोधी फसलों की किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कम उत्पादकता और उच्च उत्पादन क्षमता वाले जिलों की पहचान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुकूलन प्रदान किया गया है। एनएफएसएनएम के तहत नई जारी किस्मों और नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन को भी बढ़ावा दिया जाता है। राज्यों द्वारा जिला विशिष्ट कार्यान्वयन डेटा का रख-रखाव किया जाता है।

सरकार कृषि इनपुट के लिए क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और संबंधित एजेंसियों के साथ समय-समय पर आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन करके गुणवत्ताप्रद बीजों और उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करती है। वहनीय मूल्यों पर बीज उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) जैसी योजनाओं के अंतर्गत गुणवत्ताप्रद बीजों के वितरण, राष्ट्रीय बीज रिजर्व का सृजन, सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने, किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन और दलहनों तथा पोषक अनाजों की नई उच्च उपज किस्मों (एचवाईवी) के मिनीकिटों के मुफ्त वितरण सहित बीज संबंधी कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये कार्यकलाप उत्पादकता बढ़ाते हैं और खेती की लागत को कम करने में मदद करते हैं। किसानों को वहनीय मूल्यों पर गुणवत्ताप्रद बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बीजों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाता है। फसल सीजन शुरू होने से पहले उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलन किए गए उर्वरकों की आवश्यकता के बारे में उर्वरक विभाग को सूचित किया जाता है। इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग डीओएफ के सहयोग से साप्ताहिक आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमिलनाडु सहित देश भर में उर्वरक की उपलब्धता की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी करता है।

रामनाथपुरम जिले में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान धान, बाजरा, दलहन और तिलहन के बीज फार्म तैयार किए गए थे, जिनमें से वर्ष 2026-27 के दौरान वितरण के लिए 770 मीट्रिक टन धान, 35 मीट्रिक टन मिलेट, 30.26 मीट्रिक टन दलहन और 3.93 मीट्रिक टन तिलहन की खरीद की गई थी। अब तक किसानों को 2 मीट्रिक टन धान, 2 मीट्रिक टन मिलेट, 2.26 मीट्रिक टन दलहन और 2.5 मीट्रिक टन तिलहन वितरित किया गया है। किसानों को वितरण के लिए कृषि विस्तार केंद्रों में 768 मीट्रिक टन धान, 33 मीट्रिक टन मिलेट, 28 मीट्रिक टन दलहन और 1.43 मीट्रिक टन तिलहन का प्रमाणित बीज स्टॉक रखा गया था। सॉयल हेल्थ में सुधार के लिए 760 एकड़ के क्षेत्र में ग्रीन मैन्योर उगाई गई है, जो सॉयल हेल्थ में सुधार करने वाली महत्वपूर्ण पद्धतियों में से एक है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, चालू खरीफ 2026 सीजन (अप्रैल 2026 से सितंबर 2026) के दौरान, 6,200 मीट्रिक टन यूरिया, 1,540 मीट्रिक टन डीएपी, 300 मीट्रिक टन एमओपी और 3,300 मीट्रिक टन मिश्रित उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में, रामनाथपुरम जिले को दिनांक 06.08.2026 तक 4,356 मीट्रिक टन यूरिया, 111 मीट्रिक टन डीएपी 105 मीट्रिक टन एमओपी और 172 मीट्रिक टन मिश्रित उर्वरक प्राप्त हुआ है। दिनांक 07.08.2026 तक, जिले में 5,484 मीट्रिक टन यूरिया, 700 मीट्रिक टन डीएपी, 208 मीट्रिक टन एमओपी और 2,433 मीट्रिक टन मिश्रित उर्वरकों का उपलब्ध स्टॉक था, जबकि अगस्त 2026 में 1,140 मीट्रिक टन यूरिया, 380 मीट्रिक टन डीएपी, 30 मीट्रिक टन एमओपी और 1,700 मीट्रिक टन मिश्रित उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता थी। उपलब्ध स्टॉक जिले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, और निरंतर निगरानी, समय पर पुनःपूर्ति और आवश्यकता-आधारित पुनर्वितरण के माध्यम से, उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके परिणामस्वरूप, चालू खरीफ मौसम के दौरान रामनाथपुरम जिले में किसानों द्वारा उर्वरकों की कोई कमी की सूचना नहीं दी गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को केवल गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की आपूर्ति की जाए, विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं से उर्वरक के नमूने लेने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। नमूनों का विश्लेषण राज्य द्वारा अधिसूचित उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं और विभाग में किया जाता है और जहां भी उल्लंघन का पता चलता है, वहां उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है। विभाग गैर-मानक उर्वरकों की बिक्री, जमाखोरी, कालाबाजारी और सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के डाइवर्जन को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और औचक प्रवर्तन अभियान भी चलाता है। इसके अलावा, उर्वरकों की बिक्री की निगरानी डीबीटी-सक्षम प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय में की जाती है, जिससे किसानों को पारदर्शी वितरण और गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

पर ड्राप मोर क्राप (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 से तमिलनाडु सहित देश में लागू की जा रही है जो सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों नामतः ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत के साथ-साथ उर्वरक के उपयोग में कमी, श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागत और किसानों की समग्र आय में वृद्धि में मदद मिलती है। पीडीएमसी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की संस्थापना के लिए छोटे और सीमांत किसानों को क्रमशः 55% और 45% और अन्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से अब तक पीडीएमसी योजना के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु राज्य को 3229.29 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है। इस अवधि के दौरान, तमिलनाडु राज्य में पीडीएमसी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत 13.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है जिसमें राज्य के रामनाथपुरम जिले में 0.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है। राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, रामनाथपुरम जिले में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जुलाई 2026 तक उपलब्ध पानी का कुशल तरीके से उपयोग करने के लिए 48 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों (स्प्रिंकलर और रेन गन) द्वारा कवर किया गया है।

इसके अलावा, सरकार तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले सहित संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएस) के रूप में जानी जाने वाली 100% केन्द्रीय वित्त पोषित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य सभी किसानों को विभिन्न कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये की ऋण सीमा तक आसान और किफायती ऋण प्रदान करना है।
